

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- M-21 / 20.1.19

धारा-107 द०प्र०सं०

गारखण्ड सरकार

बनाम राजन सिंह मण्डल वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम <u>21</u> / 20.1.19, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>सौराहा</u> के अप्राथमिकी सं०- <u>06/19</u> दिनांक- <u>19-3-19</u> के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>लोक सभा चुनाव 2019 के दौरान अज्ञानि मतदान की संभावना</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उन्से प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>01/04/19</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p><u>23/04/19</u> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p><u>23/04/19</u> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

3

पृष्ठ सं०.....


क्र. सं. एवं

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

5-04-19

आभिलेखा उपस्थापित | विपत्ती उपस्थित |
दिनांक 03-05-19 को श्रेय |


25/05/19


03-05-19

आभिलेखा उपस्थापित | दिनांक पर
उपस्थित | दिनांक 14-05-19 को श्रेय |


03/05/19

14-05-19

आभिलेखा उपस्थापित | दिनांक पर
उपस्थित | दिनांक 25-05-19 को
श्रेय |


14/05/19

25-05-19

आभिलेखा उपस्थापित | दिनांक पर
उपस्थित | लोक सभा चुनाव 2019 शक्ति
पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है |
अतः वाद के आभिलेखा की कार्रवाई
बन्द की जाती है |


29/05/19